

कार्यालय झाप

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (सम्पत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन 2013 एवं (तृतीय संशोधन) 2015 के नियम 4(1) के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में प्रभावी होने वाली मूल्यांकन सूची की दरें काविड-19 महामारी आदि के दृष्टिगत दिनांक 01.08.2020 से लागू दरों को ही सामान्य निर्देशों सहित दिनांक 16.08.2021 से अग्रिम आदेशों तक पुनः प्रभावी किया जाता है।

(अभिषेक सिंह),
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
सोनभद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, सोनभद्र।

पत्रांक 28 /मु0नि0लि0-सोनभद्र/2021

दिनांक 16 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- उप महानिरीक्षक निबन्धन, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 4- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सोनभद्र।
- 5- समस्त उप निबन्धक, जनपद सोनभद्र को अनुपानार्थ।
- 6- गार्ड फाईल में संरक्षित किये जाने हेतु।

16/8/21
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
सोनभद्र।

क्षेत्रीय जिलाधिकारी
विशेष रेंज
रेनुकट वन प्रभाग, रेनुकट, सोनभद्र

उपनिबन्धक
दखी-सोनभद्र

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)

Authorized Signatory

